

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08/07/2022

क्र. एफ 16-06/2021/ए-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स जे.के.सेम (सेन्ट्रल) लि. की पन्ना जिले में रूपये 2073.29 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से क्लिंकर सीमेंट निर्माण परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 17.06.2021 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. **विद्युत शुल्क से छूट** - शासन आदेश दिनांक 17/06/2021 की कंडिका क्रमांक 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -


"इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन एवं वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द्वारा उत्पादित ऊर्जा पर प्रभारित विद्युत शुल्क से, परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्षों हेतु छूट प्रदान की जाती है।"

2. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-06/2021/ए-ग्यारह दिनांक 17/06/2021 के अनुसार स्वीकृत शेष सुविधायें यथावत रहेंगी।

3. परियोजना को उद्योग सवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 08/07/2022

पृ. क्र. एफ 16-06/2021/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, सागर सभाग सागर।
4. कलेक्टर, जिला - पन्ना
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स जे.के. सेम लि., कमला टॉवर, कानपुर - 208001।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग